कार्यालय प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी प्रभाग,बदायूँ।

पत्रांक 2427/32–2 बदायूँ दिनांक 23 फरवरी/ 2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड ,लोक निर्माण विभाग
बदायूँ।

विषयः– बदायूँ जनपद में बदायूँ–मेरठ मार्ग एस.एच.–18 के किमी0 163 से 208.400 तक किमी0 चैनेज 162 से 207.400 तक 02 से 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 64.6 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं वाधक 11256 वृक्षों एवं 14875 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू.पी. /06/53/2017/एफ.सी/826 दिनांक 16.02.18

विषयगत सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के सन्दर्भित सैद्वान्तिक स्वीकृती के पत्र में बिन्दु संख्या–1 व 2(क) विवरण निम्न प्रकार है–

<u>बिन्दु संख्या–1</u> विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वन भूमि (64.6×2=129.20 है0) अर्थात 129.20 है0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु मु0 रू0 44020971.00

<u>बिन्दु संख्या–02(क)</u> आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (NPV) की निर्धारित मु0 रू0 51873800.00

कृपया उपरोक्त धनराशियों का मदवार भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के कम में कैम्पा नई दिल्ली में ई–पोर्टल के माध्यम से जमा कराने का कष्ट करें तथा इसकी पुष्टि हेतु ई--चालन की प्रति एवं अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि इस कार्यालय के द्वारा उच्च स्तर के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये विषयगत प्रकरण में विधिवत स्वीकृति की कार्यवाही एवं अन्य अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

(रत्नेश श्रीवास्वत)
वन संरक्षक/प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ

<u>पत्रांक / दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक कैम्पा उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. वन संरक्षक एव क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी बरेली वृत्त बरेली।

(रत्नेश श्रीवास्वत)
वन संरक्षक/प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ